(ख) से (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श अंतर्ग्रस्त है। विद्यमान रिक्तियों को यथाशीघ्र भरे जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियों के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं। **(नीचे देखिए)**

अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना भारत सरकार का विषय नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	31-10-1998 को रिक्तियां
1.	इलाहाबाद	27
2.	आंध्र प्रदेश	10
3.	बम्बई	13
4.	कलकत्ता	16
5.	दिल्ली	5
6.	गौहाटी	3
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	मद्रास	7
14.	उड़ीसा	3
15.	पटना	7
16.	पंजाब और हरियाणा	14
17.	राजस्थान	10
18.	सिक्किम	1
	योग:	145
II.	उच्चतम न्यायालय	7

Non-revision of Voters List

1792. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has not revised the voters list in the recent assembly elections held in Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh and Mizoram;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the youngsters who crossed the age of 18 years have been deprived of their right to cast their vote;

(d) if so, the persons responsible for such lapses; and

(e) the steps Government propose to take to avoid recurrence of such lapses?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) The Electoral Rolls were revised with reference to 1.1.1998 as the qualifying date in the States of Madhya Pradesh, Mizoram, Rajsthan and National Capital Territory of Delhi before the recent elections to the Legislative Assemblies of those States.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Any person whose name is not included in the Electoral Roll but who is otherwise eligible for registration as elector can get his name included in the Electoral Roll in accordance with section 23 of the Representation of the People Act, 1950.

बलात्कार के मामलों की सुनवाई हेतु विधान

1793. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें देश में बलात्कार के मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया गोपनीय ढंग से कराने के लिए एक व्यापक विधान लाने हेतु ज्ञापन दिया गया है;

(ख) क्या वर्तमान में बलात्कार के मामलों में अपनाई जा रही सुनवाई की प्रक्रिया के कारण बलात्कार की शिकार महिलाओं को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ग) उक्त प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक लाये जाने की संभावना है?